

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री विष्णु कुमार गोयल-1 (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 2019/36

1. मन्दिर श्री बिहारीजी जरिये पुजारी श्री ओम प्रकाश भारद्वाज पुत्र स्व0 श्री हनुमान सहाय भारद्वाज, निवासी बिहारी बाजार, बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

-प्रार्थी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र स्व0 श्री हनुमान
2. गणेश नारायण पुत्र स्व0 श्री हनुमान
3. रामनिवास पुत्र स्व0 श्री हनुमान
4. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री कल्याण सहाय
5. सुरेश पुत्र स्व0 श्री कल्याण सहाय
जाति बागडा ब्राह्मण निवासी बागडों का मोहल्ला, ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. जगदीश पुत्र स्व0 श्री हनुमान यादव
7. सीताराम पुत्र स्व0 श्री हनुमान यादव
8. कैलाश पुत्र स्व0 श्री हनुमान यादव
9. बंशी पुत्र स्व0 श्री हनुमान यादव
10. केसर लाल पुत्र स्व0 श्री हनुमान यादव
11. रुकमणी देवी धर्मपत्नि स्व0 श्री हनुमान यादव
समस्त जाति यादव, निवासी ऊंती रोड, पेट्रोल पम्प के सामने, बगरू कलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री गोपाल लाल यादव
13. श्रीमती सायर बेवा स्व0 श्री गोपाल लाल यादव
14. श्रीमती प्रेम पुत्री स्व0 श्री गोपाल लाल यादव
15. रामसहाय पुत्र स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल
16. मोहन पुत्र स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल
17. राधेश्याम पुत्र स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल
समस्त जाति यादव, निवासीगण-ऊंती रोड, मलिक फार्म के सामने, बगरू कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर



सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

18. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक: 28.08.2019


प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया गया कि ग्राम बगरुकलां, पटवार हल्का बगरुकलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरु कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में मंदिर श्री बिहाराजी स्थान देह खातेदार के नाम से खातेदारी भूमि है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 4020 रकबा 0.40 है0, 4021 रकबा 0.36 है0, 4022 रकबा 0.01 है0, 4023 रकबा 0.34 है0, 4024 रकबा 0.17 है0, 4025 रकबा 0.22 है0, 4027 रकबा 0.35 है0, 4028 रकबा 0.12 है0, 4029 रकबा 0.28 है0, 4030 रकबा 0.51 है0, 4031 रकबा 0.21 है0, 4032 रकबा 0.20 है0, 4034 रकबा 0.38 है0, 4035 रकबा 0.22 है0, 4036 रकबा 0.24 है0, 5495 रकबा 0.1300 है0, 5496 रकबा 0.0300 है0, 5497 रकबा 0.2700 है0, 5500 रकबा 0.2800 कुल खसरा 20 कुल रकबा 5.7300 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसे इस काउन्टर प्रार्थना पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। मंदिर श्री बिहारीजी की पूजा अर्चना, भोग व देखरेख एवं मंदिर निर्माण का समस्त कार्य वर्तमान में प्रार्थी द्वारा एवं इनके परिवार द्वारा किया जा रहा है तथा पूर्व में इनके पूर्वजो द्वारा उक्त मंदिर की सेवा-पूजा व अर्चना की जाती रही है। उक्त भूमि सेवा-पूजा व भोग के लिए मंदिर श्री बिहाराजी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मंदिर श्री बिहाराजी की पूजा अर्चना एवं भोग राज व मंदिर माफी की वादग्रस्त भूमि की देखरेख शुरू से ही प्रार्थी एवं इनके पूर्वजो द्वारा की जाती रही है क्योंकि मंदिर श्री बिहाराजी परपिच्यूल माईनर है तथा शाश्वत नाबालिग की सम्पत्ति ना तो विक्रय की जा सकती है और ना ही किसी अन्य में मंदिर सम्पत्ति का हस्तान्तरा हो सकता है। मंदिर सम्पत्ति का पूर्व में यदि किसी के द्वारा भी विक्रय किया गया होगा तो वह विक्रय व हस्तान्तरा अवैध होने के कारण शून्य प्रभावी है मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने के कारण अपने अधिकार और किसी में हस्तान्तरित नहीं कर सकती है और ना ही कोई और चाहे वह पूजारी ही क्यों नही हो मंदिर सम्पत्ति का अन्तरण किसी भी प्रकार से किसी को नहीं कर सकता है इसलिए हस्तान्तरण अवैध व शून्य है। वर्तमान में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भी उक्त सम्पत्ति मंदिर श्री बिहाराजी के नाम दर्ज



सहायक कलेक्टर
जयपुर जिला

राजस्व रिकॉर्ड है तथा उसके उपयोग उपभोग का सम्पूर्ण अधिकार मंदिर की पूजा अर्चना करने वाले पूजारी व मंदिर द्वारा बने हुये ट्रस्ट में निहित है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 को कोई अधिकार मंदिर की सम्पत्ति होने के कारण विवादित भूमि में नहीं मिल सकते है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 आये दिन मंदिर की भूमि पर नाजायज कब्जा करने व कब्जे के आधार पर विक्रय करने की कोशिश करते रहते है। अप्रार्थीगण आये दिन मंदिर भूमि पर फसल बोनो को लेकर लडाई झगडा करते रहते है व आये दिन पुलिस द्वारा इन्हे पकडकर ले जाया जाता है। मंदिर सम्पत्ति को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 द्वारा अपने लडाई झगडे का अखाडा बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 को अनेको बार मंदिर पूजारी व इनके परिवार द्वारा मना करने के उपरांत भी यह लोग बाहुबल के आधार पर मंदिर की भूमि में फसल आदि बो देते है तथा पूजारी द्वारा बोई फसलो को काटकर जबरन ले जाते है। मंदिर माफी की भूमि भगवान के भोग के लिए होती है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 अपने बाहुबल के आधार पर नाजायज व अवैधानिक तरीके से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने, काशत करने व कब्जे के आधार पर विक्रय करने पर उतारू है जिसका अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। मंदिर माफी की भूमि पर अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार सृजित नहीं होते है। मंदिर में मूर्ति के भोग की आमदनी का इस भूमि के अतिरिक्त और कोई जरिया नहीं है। दिनांक 31.05.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 द्वारा एवं इनके द्वारा लाये गये 25-30 लोग चार-पांच ट्रेक्टर ट्रालिया, कुल्हाडिया, गेतियां, कटर एवं रस्से आदि लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये और हरे पेडो का काटना शुरू कर दिया आस पास के लोगो द्वारा सूचना देने पर अप्रार्थी व इनके परिवार के लोग वहा गये और पेड काटने से मना किया तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 व 12 लगायत 17 मध्य लडाई झगडा होना शुरू हो गया। इतना होने के उपरांत भी मंदिर माफी की भूमि में से 100-125 पेडो को काटकर ले गये और धमकी देकर गये कि हमने सबको खरीद रखा है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता है इन सबसे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण मंदिर माफी की भूमि को हडप करने पर उपयोग उपभोग करने व नाजायज कब्जा करने पर आमदा है जिसका अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।




सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी का काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि मंदिर श्री बिहाराजी की भूमि जिसके वर्तमान खसरा नंबर 4020 रकबा 0.40 है, 4021 रकबा 0.36 है, 4022 रकबा 0.01 है, 4023 रकबा 0.34 है, 4024 रकबा 0.17 है, 4025 रकबा 0.22 है, 4027 रकबा 0.35 है, 4028 रकबा 0.12 है, 4029 रकबा 0.28 है, 4030 रकबा 0.51 है, 4031 रकबा 0.21 है, 4032 रकबा 0.20 है, 4034 रकबा 0.38 है, 4035 रकबा 0.22 है, 4036 रकबा 0.24 है, 5495 रकबा 0.1300 है, 5496 रकबा 0.0300 है, 5497 रकबा 0.2700 है, 5500 रकबा 0.2800 कुल खसरा 20 कुल रकबा 5.7300 हैक्टैयर वाकै ग्राम बगरुकलां, पटवार हल्का बगरुकलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरुकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित विवादग्रस्त भूमि के किसी भी भू-भाग पर नाजायज कब्जा करने व कब्जे के आधार पर अन्य किसी को भी विक्रय, रहन, मोर्गेज इत्यादि नहीं करे तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग किये जाने में किसी भी प्रकार की बाधा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त विवादित कृषि भूमि अथवा उसके किसी भी भू-भाग पर किसी प्रकार का कोई भी निर्माण कच्चा या पक्का ना तो स्वयं करे, ना ही करावें, नाजायज कब्जा कर फसल बोने, हरे पेड़ काटने व तारबंदी करने से निषेध रहें। अप्रार्थीगण ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, कर्मचारी, परिवारजन, रिश्तेदार प्रतिनिधि आदि से करावे तथा मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी फोटो प्रति संवत् 2070-2073 फोटो प्रति, जमाबंदी संवत् 2011 से 2030, लगान रसीदे पेश किये जो शामिल पत्रावली है।




प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित अन्य प्रकरणों (टीआई संख्या 11/2019 बउनवानी रामनारायण बनाम मंदिर श्री बिहाराजी व टीआई संख्या 39/2017 बउनवानी गोपाल बनाम जगदीश वगै. व टीआई संख्या 21/2018 बउनवानी मंदिर श्री बिहाराजी) में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जाकर उभयपक्ष को पाबंद किया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में भी मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय मूलवाद व संबंधित प्रकरणों का अवलोकन किया गया। संबंधित अन्य प्रकरणों में न्यायालय द्वारा मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र में मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 4020 रकबा 0.40 है0, 4021 रकबा 0.36 है0, 4022 रकबा 0.01 है0, 4023 रकबा 0.34 है0, 4024 रकबा 0.17 है0, 4025 रकबा 0.22 है0, 4027 रकबा 0.35 है0, 4028 रकबा 0.12 है0, 4029 रकबा 0.28 है0, 4030 रकबा 0.51 है0, 4031 रकबा 0.21 है0, 4032 रकबा 0.20 है0, 4034 रकबा 0.38 है0, 4035 रकबा 0.22 है0, 4036 रकबा 0.24 है0, 5495 रकबा 0.1300 है0, 5496 रकबा 0.0300 है0, 5497 रकबा 0.2700 है0, 5500 रकबा 0.2800 है0 कुल खसरा 20 कुल रकबा 5.7300 हैक्टेयर वाकै ग्राम बगरुकलां, पटवार हल्का बगरुकलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरुकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर के चौका एवम् राजस्व रिकॉर्ड की यथारिथति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

